

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च 2012—फाल्गुन 19, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. एल-1-8-2005-ब-07-डी.एम.सी.-चार.—मध्यप्रदेश आकस्मिकता अधिनियम, 1957 (क्रमांक 7 सन् 1957) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि नियम, 1957 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 2 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए अर्थात्:—

“(क) “आकस्मिकता निधि” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1957 (क्रमांक 7 सन् 1957) के अधीन स्थापित की गई दो सौ करोड़ रुपये की मध्यप्रदेश राज्य आकस्मिकता निधि नाम से अग्रदाय राशि जो कि मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा धारित की जाएगी.”;

No. L 1-8-2005-B-07-DMC-IV.— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957 (No. 7 of 1957), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Contingency Fund Rules, 1957, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 2, for clause (a) the following clause shall be substituted, namely:—

- “(a) “Contingency Fund” means the imprest entitled “the Contingency Fund of the State of Madhya Pradesh” established under the Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957 (No. 7 of 1957) with a sum of two hundred crore rupees which shall be held on behalf of the Governor of Madhya Pradesh by the Secretary of Government of Madhya Pradesh, Finance Department;”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित राठौर, अपर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. 25-23-2008-दस-3.—स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/लकड़ी के कोयले की नीलामी में विक्रय को विनियमित करने के संबंध में राज्य शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2343-2751-दस-3-89, भोपाल दिनांक 30 मई, 1989 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30 जून, 1989) द्वारा प्रकाशित नियमों में, राज्य शासन, एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

शर्त क्रमांक 20 में संशोधन:—

“इन शर्तों के अधीन बेची गई जलाऊ लकड़ी/जलाऊ लकड़ी से विनिर्मित कोयले को मध्यप्रदेश राज्य के बाहर निर्यात किया जा सकेगा. जलाऊ लकड़ी/कोयले के अनुवर्ती क्रेता को भी राज्य के बाहर जलाऊ लकड़ी/कोयले का निर्यात करने का अधिकार होगा.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2012

क्र. एफ. 25-23-2008-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 25-23-2008-दस-3, दिनांक 2 मार्च 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 2nd March 2012

No. F-25-23-2008-X-3.—The State Government, hereby amends the rules to regulate the sale of timber/fuel wood/charcoal through auction from established depots, published *vide* notification No. 2343-2751-X-3-89, dated 30th May 1989 (Published in Madhya Pradesh Gazette dated 30th June, 1989) as follows, namely:—

AMENDMENTS

Amendment in condition-20—

“Fuel wood/charcoal manufactured out of fuel wood sold under these conditions may also be exported outside the state of Madhya Pradesh. The subsequent purchaser of Fuel wood/charcoal shall also have the right to export Fuel wood/charcoal outside the state.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
पंचम तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल - 462 016

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2012

क्रमांक 606/म.प्र.विनिआ/2012. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (1) तथा 181 (2) (एक्स) सहपठित धारा 50 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 861 दिनांक 27.03.2004 द्वारा मूल रूप से जारी तथा दिनांक 16.4.2004 को प्रकाशित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

प्रस्तावना

यह जबकि आयोग द्वारा दिनांक 25.06.2010 को प्रत्येक श्रेणी के लिए सभी प्रकार के नवीन कनेक्शन/संविदा मांग परिवर्तन इत्यादि हेतु एकजाई आवेदन पत्र मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में सत्रहवें संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किये गये थे ।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.09.2011 के तहत ऊर्जा विभाग की उपभोक्ता संबंधित विभिन्न 7 सेवाएं सम्मिलित की गयी हैं, जिनमें सेवा क्रमांक 1.1 "निम्न दाब व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिए मांग-पत्र प्रदान करना, जहां ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है," हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू/गैर घरेलू आदि उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए, निर्धारित एकजाई आवेदन पत्र को संरलीकृत कर उपरोक्त सेवा के संदर्भ में पृथक आवेदन पत्र प्रस्तावित किया गया है ।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में अट्टारहवां संशोधन

- (i) संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : यह संहिता "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता (अट्टारहवां संशोधन) [क्रमांक एजी -I (xviii), वर्ष 2012]" कही जाएगी ।
 - (ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होगी ।
 - (iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।
2. संहिता के अध्याय 4 में संशोधन :

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में जिसे एतद् पश्चात् प्रधान संहिता कहा जाएगा, उसके अध्याय 4 की कण्डिका 4.13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"4.13 विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति अथवा अतिरिक्त आपूर्ति का आवेदन प्रपत्र अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किया जा सकता है, जिसे उपभोक्ता द्वारा दो प्रतियों में जमा करना होगा । आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2 में दिया गया है । कोरे आवेदन प्रपत्र की छाया प्रतियों या अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट से

प्राप्त किए गए आवेदन-पत्र का उपयोग भी उपभोक्ता द्वारा किया जा सकता है, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकारणीय होगा. छायाप्रति अथवा वेबसाइट से प्राप्त आवेदन की स्थिति में आवेदन-पत्र का शुल्क आवेदन-पत्र जमा करने के समय देय होगा."

3. संहिता के परिशिष्ट में संशोधन :

प्रधान संहिता में परिशिष्ट-1 को संलग्न परिशिष्ट-1 तथा परिशिष्ट-2 के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी आयोग सचिव.

परिशिष्ट - 1

आवेदन प्रपत्र - घरेलू/गैर घरेलू निम्न दाब विद्युत संयोजन हेतु

नवीन विद्युत संयोजन/परिसर का परिवर्तन/संविदा मांग में परिवर्तन/
 टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन/उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन
 (जो संबंधित न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

पासपोर्ट आकार का फोटो

यहां चिपकाए

महोदय,

मैं/हम, मेरे/हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ /करते हैं । आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है :-

1. उपभोक्ता

(अ) आवेदक /संस्था का नाम : -----

(ब) पिता/पति/संचालक/साझीदार/ : -----

न्यासी का नाम

(स) परिसर का पूर्ण पता (पिन दर्शाते हुए) : -----

जहाँ विद्युत संयोजन के लिए आवेदन : -----

किया जाना है या जहाँ परिवर्तन : -----

प्रस्तावित है ।

दूरभाष क्रमांक : -----

(i) कारखाना/परिसर : -----

(ii) पंजीकृत कार्यालय (डाक पता सहित) : -----

(iii) निवास (डाक पता) : -----

ई-मेल : -----

बैंक खाता क्रमांक तथा बैंक का नाम (ऐच्छिक) : -----

विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा मांग, यांदि कोई हो : -----

सेवा संयोजन क्रमांक (विद्यमान संयोजन हेतु) : -----

2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/प्लॉट का क्षेत्रफल :-----

3. विद्युत आपूर्ति की श्रेणी -----

4. विद्युत आपूर्ति का उद्देश्य -----

5. विद्युत आपूर्ति का प्रकार : स्थायी/अस्थायी

(जो लागू हो उसे टिक करें और जो लागू न हो उसे काटें)

यदि अस्थायी है तो अवधि लिखें :-दिनांक ----- से ----- तक

6. प्रस्तावित भार

(अ) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए-----वॉट

(कृपया संयोजित भार की गणना के लिए प्रपत्र संलग्न करें)

(ब) गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता निम्न सारणी में विवरण भरें

(यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षर करके सूची अलग से दी जावे)

उपकरण	संयोजित भार प्रति उपकरण(वॉट में)	संख्या	कुल संयोजित भार (वॉट में)

(स) यदि मॉग आधारित विद्युत दर का विकल्प चुना हो, तो संविदा मॉग _____ के.व्ही.ए.

_____ से प्रभावी यदि आपूर्ति के मामले में चरणबद्ध में आवश्यक हो।

7. क्या अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक : हाँ/ नहीं

के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि है ।

8. क्या इस परिसर पर कोई बकाया राशि है : हाँ/ नहीं

जहाँ विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया है ।

9. क्या ऐसी किसी संस्था/कम्पनी आवेदक जिसका स्वामी, : हाँ / नहीं

साझीदार, संचालक या प्रबंध संचालक है,

पर अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत कोई विद्युत बकाया राशि है ।

(क्रमांक 7, 8 एवं 9 के लिए यदि "हाँ" हो तो कृपया विवरण दें)

10. क्या परिसर के नक्शों में, विद्युत उपयोग हेतु परिसर की सीमाओं को स्पष्ट रूप से

दर्शाया गया है । : हाँ / नहीं

11. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि

(अ) उपरोक्त प्रपत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।

(ब) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता के विषय-वस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें

उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

- (स) मैं/हम विद्युत टैरिफ व अन्य चार्जस के आधार पर (जो भी लागू हो) विद्युत बिलों की बकाया राशि का भुगतान प्रति माह करूँगा/करेंगे ।
- (द) मैं/हम मीटर, कट आउट एवं उसके बाद की संस्थापना की प्रतिभूति एवं सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं ।
- (ई) मैं/हम नें आवेदन के साथ सूची अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिये हैं । : हाँ / नहीं
- (यदि नहीं तो कृपया कारण सहित विवरण दें)

दिनांक :

(आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

स्थान :

नोट :- आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

शहरी क्षेत्र घरेलू तथा गैर घरेलू कनेक्शन हेतु दस्तावेज -

- i. आवेदन पंजीयन शुल्क
- ii. आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो
- iii. मकान संबंधी अभिलेख की छायाप्रति (किरायेदार होने पर किरायेदारी संबंधी अनुबंध पत्र/किराए की रसीद/आवेदक का किराएदार होने संबंधी शपथपत्र)
- iv. मकान/परिसर का नक्शा (आवेदक द्वारा प्रमाणित)
- v. स्थानीय निकाय (सचिव, ग्राम पंचायत, नगर पालिका के प्राधिकृत अधिकारी) आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- vi. घरेलू कनेक्शन हेतु बी.पी.एल. राशन कार्ड/बी.पी.एल. सूची का पंजीयन प्रमाण (अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है और कनेक्शन चार्ज में छूट चाहता है)
- vii. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का प्रमाण पत्र (अगर आवेदक ऊर्जा प्रभार में छूट चाहता है)

ग्रामीण क्षेत्र घरेलू तथा गैर घरेलू कनेक्शन हेतु दस्तावेज -

- i. आवेदन पंजीयन शुल्क
- ii. आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो
- iii. सरपंच/पंचायत सचिव का अनापत्ति प्रमाणपत्र (केवल गैर घरेलू कनेक्शन के लिये)
- iv. घरेलू कनेक्शन हेतु बी.पी.एल. परिवारों को राशन कार्ड/बी.पी.एल. सूची का पंजीयन प्रमाण (अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है और कनेक्शन चार्ज में छूट चाहता है)
- v. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का प्रमाण पत्र (अगर आवेदक ऊर्जा प्रभार में छूट चाहता है)

आवेदन प्रपत्र - उच्च दाब/अन्य निम्न दाब विद्युत संयोजन हेतु

नवीन विद्युत संयोजन/परिसर का परिवर्तन/संविदा मांग में परिवर्तन/
टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन/उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन इत्यादि
(जो संबंधित न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

पासपोर्ट आकार का फोटो

यहां चिपकाए

महोदय,

मैं/हम, मेरे/हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ /करते हैं । आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है :-

1. उपभोक्ता

- (अ) आवेदक /संस्था का नाम : -----
- (ब) पिता/पति/संचालक/साझीदार/
न्यासी का नाम : -----
- (स) परिसर का पूर्ण पता (पिन दर्शाते हुए)
जहाँ विद्युत संयोजन के लिए आवेदन : -----
किया जाना है याजहाँ परिवर्तन : -----
प्रस्तावित है ।
- दूरभाष क्रमांक : -----
- (i) कारखाना/परिसर : -----
- (ii) पंजीकृत कार्यालय (डाक पता सहित) : -----
- (iii) निवास (डाक पता) : -----

ई-मेल : -----

बैंक खाता क्रमांक तथा बैंक का नाम (ऐच्छिक) : -----

विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा मांग, यदि कोई हो : ----- (उच्च दाब/निम्न दाब)

सेवा संयोजन क्रमांक (विद्यमान संयोजन हेतु) : -----

निम्न दाब प्रदाय :

2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/प्लॉट का क्षेत्रफल :-----
3. विद्युत आपूर्ति की श्रेणी -----
4. विद्युत आपूर्ति का उद्देश्य -----
5. विद्युत आपूर्ति का प्रकार : स्थायी/अस्थायी
(जो लागू हो उसे टिक करें और जो लागू न हो उसे काटें)
यदि अस्थायी है तो अवधि लिखें :-दिनांक ----- से ----- तक
6. प्रस्तावित भार (निम्न सारणी में विवरण भरें)
(यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षर करके सूची अलग से दी जावे)

(अ)

उपकरण	संयोजित भार प्रति उपकरण(वॉट में)	संख्या	कुल संयोजित भार (वॉट में)

- (ब) यदि मॉग आधारित विद्युत दर का विकल्प चुना हो, तो संविदा मॉग ___ के.व्ही.ए. _____ से प्रभावी यदि आपूर्ति के मामले में चरणबद्ध में आवश्यक हो।

उच्च दाब प्रदाय :

7. वोल्टेज जिस पर विद्युत संयोजन चाहिए (के.वी.) :-

11 के.वी.	33 के.वी.	132 के.वी.	220 के.वी.
-----------	-----------	------------	------------

8. विद्युत संयोजन का प्रकार : स्थायी/अस्थायी/वैकल्पिक(स्टैंडबाय)/
कैप्टिव विद्युत उत्पादक अथवा जनरेटर का
ग्रिड से समकालन
(जो संबंधित न हो उसे काट दें और संबंधित हो उस पर टिक लगायें)

स्थायी संयोजन से अतिरिक्त के लिए अवधि दर्शायें दिनांक ----- से ----- तक

9. आवेदक द्वारा अधिष्ठापन की स्थापना हेतु अब तक उठाये गये कदम

(अ) -----
(ब) -----
(स) -----
(द) -----

10. आवेदित संविदा मांग के प्रक्षेपण का आधार
 (अ) अनुमानित विविधकरण कारक : -----
 (अनुमानित डायवरसिटी फैक्टर)
 (ब) कुल संबद्ध भार : -----
 मशीनों की सूची संलग्न करें

11. क्या संयोजन को विभिन्न चरणों में लिये जाने की आवश्यकता है : -----

12. संविदा मांग के चरण : -----

क्रमांक	आवश्यक संविदा मांग (के.वी.ए.)	संभावित दिनांक जब से आवश्यकता है।	टिप्पणी

नोट : संविदा मांग के चरणों की संभावित दिनांक, अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि के समाप्त होने की दिनांक के बाद नहीं होनी चाहिए ।

13. अधिष्ठापन का प्रयोजन : -----
14. टैरिफ की चयनित श्रेणी : -----
 (टैरिफ आदेश के अनुसार)
15. उत्पादन की संभावित तिथि : -----
16. उद्योग की श्रेणी : लघु/ मध्यम/वृहद्
 (जो संबंधित न हो उसे काट दें और जो संबंधित हो उसे दर्शायें)
17. भूमि के अधिग्रहण की स्थिति : -----
 (स्वामित्व का प्रमाण तथा वैधानिक स्वीकृतियां प्रस्तुत करें)
18. अनुमानित दिनांक जब तक आर्थिक प्रबंध : -----
 प्राप्त हो जाएगा ।

19. क्या म.प्र. राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल, भोपाल से वैधानिक आवश्यकतानुसार, आवश्यक अनुज्ञा/ अनापत्ति (जहाँ आवश्यक हो) प्राप्त की है। (यदि हां तो प्रति संलग्न करें) : -----

समस्त उपभोक्ताओं हेतु :

20. क्या अनुज्ञापतिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक : हाँ/ नहीं
के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि है।
21. क्या इस परिसर पर कोई बकाया राशि है : हाँ/ नहीं
जहाँ विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया है।
22. क्या ऐसी किसी संस्था/कम्पनी आवेदक जिसका स्वामी, : हाँ / नहीं
साझीदार, संचालक या प्रबंध संचालक है,
पर अनुज्ञापतिधारी के क्षेत्रान्तर्गत कोई विद्युत बकाया राशि है।
(क्रमांक 20, 21 एवं 22 के लिए यदि "हाँ" हो तो कृपया विवरण दें)
23. क्या परिसर के नक्शों में, विद्युत उपयोग हेतु परिसर की सीमाओं को स्पष्ट रूप से
दर्शाया गया है। : हाँ / नहीं
24. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि
(अ) उपरोक्त प्रपत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।
(ब) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता यथा संशोधित के विषय-वस्तु को पढ़ लिया है एवं
उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
(स) मैं/हम विद्युत टैरिफ व अन्य चार्जस के आधार पर (जो भी लागू हो) विद्युत बिलों की
बकाया राशि का भुगतान प्रति माह करूँगा/करेंगे।
(द) मैं/हम मीटर, कट आउट एवं उसके बाद की संस्थापना की प्रतिभूति एवं सुरक्षा लेने की
जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं।
(ई) मैं/हम नें आवेदन के साथ सूची अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर
दिये हैं। : हाँ / नहीं
(यदि नहीं तो कृपया कारण सहित विवरण दें)

दिनांक :

(आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

स्थान :

नोट :- आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

1. परिसर के स्वामित्व/कानूनी कब्जे का प्रमाण ।
2. प्लान्ट/कार्यालय के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित विद्युत प्रदाय के बिन्दु को दर्शाता हुआ नक्शा। नक्शे का माप उच्च दाब संयोजन हेतु सामान्यतः 1 से.मी.= 1200 से.मी. के अनुपात में होना चाहिए।
3. यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अधिकारी से लायसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र या आवेदक का घोषणा-पत्र कि उसके कनेक्शन के लिये किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।
4. आवेदक यदि स्वयं की संस्था के लिये विद्युत संयोजन चाहता है तो एक शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेखित हो कि वह उस संस्था का स्वयं मालिक है ।
5. साझीदारी संस्था के मामले में साझेदारी संबंधी दस्तावेज ।
6. मर्यादित (लिमिटेड) कंपनी के मामले में समझौता पत्र तथा अनुच्छेद एशोसियेशन एवं निगम की प्रति (मेमोरण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इनकारपोरेशन)।
7. कृषि उपभोक्ताओं के मामले में, खसरा/बही की नकल अपेक्षित है।
8. आवेदक के स्थायी निवास के पते का प्रमाण एवं आवेदक का आयकर का स्थायी लेखा क्र. (पीएएन नंबर), यदि कोई हो । स्थायी निवास के पते में भविष्य में यदि कोई बदलाव होता है तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को तदनुसार सूचित करेगा ।
9. औद्योगिक संयोजन हेतु, उत्पादन/उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए लैटर ऑफ इन्टेंट ।
10. प्रस्तावित उपकरणों की अनुमानित भार सहित सूची ।
11. जहां संयोजन फर्म, लिमिटेड/प्रायवेट लिमिटेड फर्म, कम्पनी आदि के नाम से, के संबंध में प्राधिकार के संबंध में प्रस्ताव ।
12. उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन, जहां यह लागू हो ।
13. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वह भाग, जो उद्योग के विद्युत आवश्यकताओं तथा उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित हो (उद्योगों के प्रकरण में) ।
14. टैरिफ आदेश के संबंधित अनुभाग की प्रति, जिसको उपभोक्ता द्वारा चयनित कर हस्ताक्षरित किया हो । इसे औपचारिकताएं पूर्ण होने पर अनुबंध का हिस्सा मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जावेगा ।

Bhopal, the 28th February, 2012

No. 606 /MPERC/2012. In exercise of powers conferred by Section 181(1) and 181 (2) (x) read with Section 50 of the Electricity Act, 2003, Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2004 which was originally issued vide notification No. 861 dated 27.03.2004 and published on 16.04.2004.

**EIGHTEENTH AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY SUPPLY
CODE, 2004.**

1. Preamble

Whereas, the Commission had notified a consolidated application form for new connection, change in contract demand, etc. in MP Electricity Supply Code, 2004 on 25.06.2010 under Seventeenth Amendment. Under Madhya Pradesh Lok Sevaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhinyam, 2010 notified on 24.09.2011, seven different services related to Energy Department are included, wherein for service No. 1.1 "To supply application form for new connection to individual low tension where such connection is possible from existing network" looking to the difficulties of Domestic/Non-domestic consumers of urban and rural areas, specified consolidated application form is simplified and separate application form is proposed for aforesaid consumers' service.

2. Short Title and Commencement : 1.1 "Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2004 (Eighteenth Amendment) [No. AG-I(xviii) of 2012]."

1.2 This Code shall come into force with effect from the date of its publications in the Official Gazette.

1.3 This Code shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.

3. Amendment in Chapter 4 of the Code :

In the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2004 hereinafter called the Principal Code, the following shall be substituted in the Clause 4.13, namely :

"4.13 Requisition for a new supply or an additional supply of electrical energy must be made in duplicate in the appropriate prescribed form, copies of which shall be available at a cost

from the local office of the licensee. The format of the application forms is provided in Annexure 1 and Annexure 2. Photocopies of a blank form or form downloaded from the website of the licensee may also be used by the consumer and shall be accepted by the Licensee. Charges of application form, in case of that being downloaded or photocopied, shall be recovered at the time of submission of the application form to the licensee."

4. Amendment in Annexure to the Code :

In the Principal Code, the Annexure-1 shall be substituted by as per Annexure-1 and Annexure-2 enclosed.

By order of the Commission
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.

ANNEXURE -1**APPLICATION FORM –FOR DOMESTIC/NON-DOMESTIC
LOW TENSION SERVICE CONNECTION****New Connection/Shifting of Premises/Change in Contract
Demand/Change of Tariff Category/Change of Name of Consumer***(Please strike-off the purpose that is not applicable)*

To,

-----Affix Pass Port
Size Photo

Sir,

I/We request you to supply electricity to my/our premises. The requisite information is furnished below :-

1. Consumer –

(a) Name of the person/organization :

(b) Name of father/husband/Director/ :
Partner/Trustee

(c) Full Address of the premises (with PIN)

Where a new connection is hereby applied
for/the existing connection is proposed to
be shifted

Telephone No. :

(i) Factory / Premises :

(ii) Registered Office (alongwith
Postal address) :

(iii) Residence (Postal address) :

E-mail :

Bank A/C No. and name of Bank
(optional) :

Existing sanctioned load/contract

Demand if any, :

Service connection no.
(For existing connection) :

2. Built-up area of the premises/plot area :
3. Category of supply :
4. Purpose of supply :
5. Type of Supply : Permanent/Temporary
(Please strike-off type not applicable and tick the type applicable)
If temporary specify period – From : To :

6. Proposed Load –

- (a) For domestic connection : Watts

Please fill-up and attach format for determination of connected load.

- (b) For Non-domestic category please fill up the following
-
- (Attach duly signed separate list if required)

Item	Connected Load per item (Watts)	No.	Total Connected Load (Watts)

- (c) If opted for two part tariff, then Contract Demand = _____ KVA.
-
- w.e.f. _____ in case supply is required in phasing.

7. Any electricity dues outstanding in the licensee's area of operation in the consumer's name Yes/No
8. Any electricity dues outstanding for the premises for which connection applied for : Yes/No
9. Any electricity dues outstanding with the licensee against any firm/company with which the consumer is associated as an Owner, Partner, Director or Managing Director Yes/No
(For serial nos. 7, 8 & 9 if answer is 'Yes' in any case please provide details)
10. Whether the boundary within which electricity shall be consumed is clearly shown in the Plan (Map) of the premises. Yes/No
11. I/We hereby declare that –
- (a) The information provided in the form above is true to my knowledge.
- (b) I/We have read the Madhya Pradesh Electricity Supply Code and agree to abide by the condition mentioned therein.
- (c) I/We will deposit electricity dues, every month, as per the applicable electricity

tariff and other charges.

- (d) I/We will own the responsibility of security and safety of the meter, cut-out and the installation thereafter.
- (e) I/We enclose all necessary documents as per list with the application form. (If 'No', please provide details with reasons).

Signature of the Consumer/Authorized Signatory

Date :

Place :

Note : Following documents may be attached with the application form :-

For domestic and non-domestic connections in urban area:

1. Application registration fee
2. Passport size photo of applicant
3. Photocopy of document related to House/Premises (In case of tenant rent deed agreement/rent receipt/affidavit related to tenancy of applicant)
4. Plan Map of House (Certified by Applicant).
5. No Objection Certificate from local statutory authority, etc. (Secretary, Gram Panchayat, Authorised Officer of Municipality).
6. Below Poverty Line Ration Card for domestic connection/Registration Certificate of list of Below Poverty Line (If applicant is in Below Poverty Line and wants exemption in Service Connection Charges).
7. Registration Certificate of SC and ST candidate under Below Poverty Line. (If applicant wants exemption in Energy Charges).

For domestic and non-domestic connections in rural area:

1. Application registration fee
2. Passport size photo of applicant
3. No Objection Certificate of Sarpanch/Panchayat Secretary (only for non-domestic connection)
4. Below Poverty Line Ration Card for domestic connection/Registration Certificate of list of Below Poverty Line (If applicant is in Below Poverty Line and wants exemption in Service Connection Charges).
5. Registration Certificate of SC and ST candidate under Below Poverty Line. (If applicant wants exemption in Energy Charges).

ANNEXURE -2**APPLICATION FORM –FOR HIGH TENSION/OTHER LOW TENSION SERVICE CONNECTION**

**New Connection/Shifting of Premises/Change in Contract
Demand/Change of Tariff Category/Change of Name of Consumer, etc.**

(Please strike-off the purpose that is not applicable)

To,

Affix Pass Port
Size Photo

Sir,

I/We request you to supply electricity to my/our premises. The requisite information is furnished below :-

1. Consumer –

(a) Name of the person/organization :

(b) Name of father/husband/Director/ :
Partner/Trustee

(c) Full Address of the premises (with PIN)

Where a new connection is hereby applied
for/the existing connection is proposed to
be shifted

Telephone No. :

(i) Factory / Premises :

(ii) Registered Office (alongwith
Postal address) :

(iii) Residence (Postal address) :

E-mail :

Bank A/C No. and name of Bank
(optional) :

Existing sanctioned load/contract

Demand if any, :(HT/LT)

Service connection no.
(For existing connection) :

LT Supply :

2. Built-up area of the premises/plot area :
3. Category of supply :
4. Purpose of supply :
5. Type of Supply : Permanent/Temporary
(Please strike-off type not applicable and tick the type applicable)
If temporary specify period – From : To :

6. Proposed Load (fill up the following) –

(a) (Attach duly signed separate list, if required)

Item	Connected Load per item (Watts)	No.	Total Connected Load (Watts)

(b) If opted for two part tariff, then Contract Demand = _____ KVA.
w.e.f. _____ in case supply is required in phasing.

HT Supply

7. Voltage at which supply is required (KV) :

11 KV	33 KV	132 KV	220 KV
-------	-------	--------	--------

8. Type of supply : Temporary/Permanent/standby/synchronization of CPPs or Generators with Grid
(Please strike-off category not applicable and tick the category applicable)

For other than permanent supply, specify period – From : To :

9. Steps taken by the consumer so far to set-up the installation

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

10. Basis of projection of Contract Demand required.—

(a) Diversity factor assumed :

(b) Total Connected Load :

Attach List of Machines

11. Whether connection is required in phases :

12. Phasing of contract demand (CD) :

Sl.No.	CD required (KVA)	Tentative Date From which required	Remarks

Note: The tentative dates of phasings should not be beyond the date of expiry of initial period of agreement.

13. Purpose of installation :

14. Category of tariff opted for :

(as per tariff order)

15. Probable date of production :

16. Category of Industry : SSI/MSI/LSI

(Please strike-off category not applicable and tick the category applicable)

17. Status of land acquisition :

(Please provide proof of ownership and statutory clearances)

18. Expected date by which finance would be available :

19. Whether the requisite consent/NOC (where applicable according to the list of Pollution Control Board) has been obtained from M.P. State Prevention and Control of Water Pollution Boards, Bhopal as per statutory requirements

(If yes, a copy should be furnished) :

FOR ALL CONSUMERS

20. Any electricity dues outstanding in the licensee's area of operation in the consumer's name Yes/No
21. Any electricity dues outstanding for the premises for which connection applied for : Yes/No
22. Any electricity dues outstanding with the licensee against any firm/company with which the consumer is associated as an Owner, Partner, Director or Managing Director Yes/No
(For serial nos. 20, 21 & 22 if answer is 'Yes' in any case please provide details)
23. Whether the boundary within which electricity shall be consumed is clearly shown in the Plan (Map) of the premises. Yes/No
24. I/We hereby declare that –
- (a) The information provided in the form above is true to my knowledge.
 - (b) I/We have read the Madhya Pradesh Electricity Supply Code as amended and agree to abide by the condition mentioned therein.
 - (c) I/We will deposit electricity dues, every month, as per the applicable electricity tariff and other charges.
 - (d) I/We will own the responsibility of security and safety of the meter, cut-out and the installation thereafter.
 - (e) I/We enclose all necessary documents as per list with the application form. (If 'No', please provide details with reasons).

Signature of the Consumer/Authorized Signatory

Date :

Place :

Note : Following documents may be attached with the application form :-

1. Proof of ownership/legal occupancy of the premises.
2. A map indicating therein in the proposed location of the plant/office and the point where supply is required. The map should normally be of the scale of 1 cm representing 1200 cm for HT connections.
3. Licensee/NOC from statutory authority, if required or a declaration by the applicant is that his connection does not fall under the requirement of NOC under any statute.

4. In case of a proprietary firm, an affidavit to be submitted stating that the applicant is the sole proprietor of the firm.
5. In case of partnership firm, a certified copy of partnership deed.
6. In case of Limited Company, Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation.
7. In case of agricultural consumer, copy of Khasra/Bahi is required.
8. Proof of permanent residential address of the consumer and PAN Number, if any. If there is any change at a later date, the same shall be intimated by the consumer to the Licensee immediately.
9. Letter of intent for production/enhancement in production for industrial connection.
10. List of equipment proposed to be installed along with the expected load.
11. Resolution for authorization in respect of where connection required in name of firm, limited/Pvt. Ltd. firm, company etc.
12. Registration from Industries Department wherever applicable.
13. Extract of project report relevant to power and process requirement (in case of industries).
14. Copy of the relevant section of the current tariff order that provides details of the tariff category opted by the consumer and duly signed by him. This will be appended with agreement after completion of formalities.